उत्तर मध्य रेलवे के सा. एवं स. नि. की संशोधन पर्ची सं.- 62 दिनांक - 30.12.2019 का राजभाषा में अनुवाद

(संदर्भ : वरि.मं.परि.प्रबं./आगरा का पत्रांक-आगरा/परि./स्टे.सं.नि./11/08/01, दिनांक-08.11.2019,मद -1)
(संदर्भ : कार्यपालक निदेशक/संरक्षा-II, रेलवे बोर्ड का पत्रांक-98/सैफ्टी (एएंडआर)/19/16,दि.-25.10.2019)
(संदर्भ : वरि.मं.परि.प्रबं. (सम.)/इला. का पत्रांक-टी./विविध/सेफ्टी/2019, दिनांक-10.10.2019,मद -2)
(संदर्भ : वरि. मं.परि.प्रबं (सम.)/झांसी का पत्रांक-झांसी/टी./400/गेट/19, दिनांक-11.12.2019,मद -3 एवं 4)
(संदर्भ : संयुक्त निदेशक/संरक्षा, रेलवे बोर्ड का पत्रांक-2000/सेफ्टी (एएंडआर)/19/39पार्ट, दिनांक-15.12.2009)

01. वर्तमान स.नि.4.08/1 (ख) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.-62)

स.नि. 4.08/1 (ख) - घने कोहरे अथवा तूफानी मौसम, जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाए, की स्थिति में लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां:- कोहरे के दौरान लोको पायलट गाड़ी की गति के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करेगा:-

(i) कोहरे के दौरान जब लोको पायलट अपने विवेक से यह समझता है कि कोहरे के कारण दृश्यता बाधित हो रही है, तब वह गाड़ी को उस गति से चलाएगा जिस पर वह गाड़ी को नियंत्रित कर सके ताकि किसी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहे, यह गति किसी भी मामले में 75 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी |

(ii) लोको पायलट समपार फाटकों के पास पहुँचते समय, गेटमैन (जहाँ नियुक्त हों) तथा सड़क उपयोगकर्ताओं को गाड़ी के गेट की तरफ आने की चेतावनी देने के लिए लगातार सीटी बजायेगा |

(iii) पूर्ण ब्लाक पद्धति में गाड़ी की गति 75 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि ऊपर मद संख्या-(i) में वर्णित है |

(iv) स्वचालित ब्लाक क्षेत्र में गाड़ी की गति ऊपर के मद संख्या-(i) में उल्लिखित लोको पायलट के विवेक के अनुसार होगी और नीचे दी गई गति से अधिक नहीं होगी -

(क) स्वचालित रोक सिगनल को 'हरा' संकेत पर पार करने पर, गाड़ी की गति 75 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी |

(ख) स्वचालित रोक सिगनल को 'दो पीला' संकेत पर पार करने पर, गाड़ी की गति 30 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी |

(ग) स्वचालित रोक सिगनल को एक 'पीला' संकेत पर पार करने पर, लोको पायलट और प्रतिबन्धित गति से चलेगा ताकि वह अगले रोक सिगनल पर रुकने के लिए तैयार रह सके |

नोट : (i) फॉग सेफ डिवाइस का प्रावधान:- विश्वसनीय कोहरा सुरक्षा उपस्कर (फॉग सेफ डिवाइस) यदि उपलब्ध हो, कोहरे के दौरान कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाले सभी इंजनों के लोको पायलटों को प्रदान की जाए | जहाँ पर विश्वसनीय कोहरा सुरक्षा उपस्कर (फॉग सेफ डिवाइस) उपलब्ध है और वह कार्यरत अवस्था में हैं, वहाँ पर स.नि. 3.61/1 (ख) (ii) में उल्लिखित शर्तो के अंतर्गत पटाखे लगाने की आवश्यकता नहीं है |

नोट : (ii) यदि इंजन में फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध न हो अथवा डिवाइस मार्ग में खराब हो जाए तो ऊपर वर्णित अधिकतम गति 75 कि.मी. प्रतिघंटा की जगह 60 कि.मी. प्रतिघंटा या लोको पायलट के विवेक के अनुसार इससे कम होगी |

नोट : (iii) सा.नि.4.16 (1) (ख) के अंतर्गत वर्णित फ्लैशिंग लाल रोशनी दर्शाने वाली अनुमोदित डिजाइन की लाल टेल लैम्प, कोहरे के मौसम के दौरान अंतिम वाहन दर्शाने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी और दिन अथवा रात के समय जाँच यंत्र के रूप में अंतिम वाहन पर प्रकाशित करके लगाई जाएगी |

नोट : (iv) प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल के लोकेशन का किलोमीटर चार्ट प्रत्येक लोको पायलट को जो कार्ड के रूप में हो जिसे आसानी से ले जाया जा सके या कार्य संचालन समय सारणी में उपलब्ध कराया जाए |

नोट : (v) लॉबी में "साइन ऑन" के दौरान कर्मीदल और गार्ड को कोहरे की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए |

02. **वर्तमान स.नि. 5.14/1 (घ) (iii) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -** (संशोधन पर्ची सं.-62)

स.नि. 5.14/1 (घ) (iii) - अन्य सभी मामलों में जहां संचालन रनिंग लाइनों से संबंधित हो, सम्मुख कांटों को क्लैंप/कॉटर बोल्ट एवं पैडलॉक किया जाएगा। तथापि, यार्ड की नान-रनिंग लाइनों पर शंटिंग करते समय भी कांटों को क्लैंप करना आवश्यक होगा। नान-इंटरलॉक्ड यार्डों के खराब कांटों को यदि किसी प्रकार सेट कर दिया गया हो, तो उन पर क्लैंप एवं पैडलॉक लगाना आवश्यक होगा।

03. **परिशिष्ट 'क' के संलग्नक - IV के वर्तमान पैरा 2 (क) (v) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -** (संशोधन पर्ची सं.-62)

पैरा 2 (क) (v) - एक बार बंद किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचलन योजना में परिवर्तन किए जाने आदि की स्थिति में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है । स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से कर लिया गया हो, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचालन नहीं है। इकहरी लाइन पर समपार फाटक से गाड़ी के पूरी तरह से गुजर जाने के बाद गेटमैन पिछली तख्ती/पिछली बत्ती को देखने के बाद फाटक को खोलने के लिये प्राधिकृत होगा। इसके अतिरिक्त, दोहरी अथवा बहु लाइनों के मामले में गेटमैन फाटक खोलने से पहले यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन मास्टर ने प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अंतर्गत किसी अन्य गाड़ी के उसी दिशा अथवा अन्य दिशा से आगमन के संबंध में फाटक को बंद रखने के लिए सूचित तो नहीं किया है।

04. **परिशिष्ट 'क' के संलग्नक -IV के वर्तमान पैरा 2 (ख) (vi) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -** (संशोधन पर्ची सं.-62)

पैरा 2 (ख) (vi) - एक बार बंद किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचलन योजना में परिवर्तन किए जाने आदि की स्थिति में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है । स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से कर लिया गया हो, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचालन नहीं है। इकहरी लाइन पर समपार फाटक से गाड़ी के पूरी तरह से गुजर जाने के बाद गेटमैन पिछली तख्ती/पिछली बत्ती को देखने के बाद फाटक को खोलने के लिये प्राधिकृत होगा। इसके अतिरिक्त, दोहरी अथवा बहु लाइनों के मामले में गेटमैन फाटक खोलने से पहले यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन मास्टर ने प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अंतर्गत किसी अन्य गाड़ी के उसी दिशा अथवा अन्य दिशा से आगमन के संबंध में फाटक को बंद रखने के लिए सूचित तो नहीं किया है।

05. **सा.नि. 5.07 - परिचालन फार्मों का भारतीय रेलों पर मानकीकरण क्रमांक सं.-13 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -** (संशोधन पर्ची सं. 62)

13	दोहरी लाइन सेक्शन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान गाड़ी संचालन के लिये प्राधिकार	टी/सी 602

सं.-याता/सामा./संशोधन पर्ची /22/20
दिनांक : 31.05.2021.

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली ।
2. सचिव महाप्रबंधक-महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज ।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे ।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज /झांसी/आगरा ।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे ।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे ।

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक